रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262225 CG-DL-E-02042025-262225

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1544]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2025/ चैत्र 12, 1947

No. 1544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2025/ CHAITRA 12, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2025

का.आ. 1563(अ).—जबिक केंद्र सरकार का यह मत है कि विस्फोटक, नामत: इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) खतरनाक प्रकृति का है;

और जबिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाना सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक है;

और जबिक विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने विस्फोटक उद्योग के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो दिनांक 29.09.2023 के का.आ. 4255 (अ) के तहत 1 अप्रैल, 2025 से लाग होगा;

अब, विस्फोटक उद्योग के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंध 1 जुलाई,2025 से लागू किया जाएगा।

[फा.सं. पी-13015/45/2021- विस्फोटक -पार्ट (1)]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

2302 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2025

S.O. 1563(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that the explosive, namely, electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) is of a dangerous character;

And whereas it is expedient for the security concerns and public safety to prohibit the manufacture, possession and import of electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1);

And whereas in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government, after consultation with stakeholders of explosives industry, in the public interest decided to prohibit the manufacture, possession and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) throughout the country with effect from the 1st day of April, 2025 vide S.O. 4255 (E) dated 29.09.2023;

Now, in consultation with stakeholders of explosives industry, it has been decided that the aforesaid prohibition shall be enforced with effect from 1st day of July, 2025.

[F. No. P-13015/45/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.